<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/29/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14 नवंबर 2025

<u>शुद्धि पत्र</u>
<u>मामला सं.-एडी (ओआई) -27/2024</u>

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और रूस से एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर ('एनबीआर') के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. संबद्ध पाटनरोधी जांच के संदर्भ में समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 25 सितंबर 2025 की अधिसूचना संख्या 06/29/2024-डीजीटीआर द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, पैराग्राफ 82, 101, 191, 193 में, गलती से उत्पादक के संबद्ध व्यापारी पीजेएससी सिबुर होल्डिंग का नाम, उत्पादक क्रास्नोयार्स्के सिंथेटिक रबर प्लांट, पब्लिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी के नाम के स्थान पर उल्लिखित किया गया है। उपर्युक्त पैराग्राफ में निहित नाम पीजेएससी सिबुर होल्डिंग के स्थान पर निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा -

"क्रास्नोयार्स्के सिंथेटिक रबर प्लांट, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी"

3. तदनुसार, अंतिम जांच परिणामों के पैरा **195 के अंतर्गत दी की गई शुल्क तालिका के क्रम संख्या 7** में शुद्धि की जाती जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा:

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्‌गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
7	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	क्रास्नोयार्स्क सिंथेटिक रबर प्लांट, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	शून्य	मी.ट.	अम.डॉ.

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी